न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखाण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 02/2025(जी.सी.एम.एस. 2025/88)

अपीलांट	बनाम रेस्पोडेन्ट
1. संतोष देवी पत्नी द्वारका दास जाति महेश्वरी निवासी केसरीसिंपुर तहसील श्रीकरणुपर। 2. अनीता लखोटिया पुत्री द्वारका दास जाति महेश्वरी निवासी केसरीसिंपुर तहसील श्रीकरणुपर। 3. योगेश करवा पुत्र द्वारका दास जाति महेश्वरी निवासी केसरीसिंपुर तहसील श्रीकरणुपर। 4. नीरज करवा पुत्र द्वारका दास जाति महेश्वरी निवासी केसरीसिंपुर तहसील श्रीकरणुपर। जरिए असालतन नीरज करवा एंव मुखत्यारेआम संतोष देवी, अनीता लखोटिया एंव योगेश करवा।	1. ग्राम पंचायत मलकाना कलां जरिये सरपंच ग्राम पंचायत मलकाना कलां तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू-राजस्व अधिनियम- 1956

तारीख रजू:-26.03.2025

उपस्थितः 1.श्री रमेश चन्द्र गुप्ता अधिवक्ता अपीलांट

--निर्णय-- **दिनांकः 23.06.2025**

1- संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट के द्वारा अपील अन्तर्गत धारा 75 एलआरएक्ट प्रस्तुत कर अर्ज किया कि इन्तकाल संख्या 498 ग्राम पंचायत मलकाना कलां द्वारा चक 4 यू तहसील श्रीकरणपुर के खाता संख्या 89, 79, 91, 96, 41 के मुरब्बा नम्बर 13 की 1.024 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में बैयनामा दिनांक 12.05.2004 के आधार पर द्वारका दास पुत्र रामचन्द्र जाति महेश्वरी निवासी केसरीसिंहपुर के नाम से दर्ज करने बाबत् खोला गया, लेकिन इस इन्तकाल को दिनांक 05.06.2010 को सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा निरस्त कर दिया गया कि यह कृषि भूमि अनुसूचित जाति के व्यक्ति के नाम से दर्ज है तथा खरीददार स्वर्ण जाति का है। जबकि उक्त भूमि के खातेदार रामचन्द्र, राजूराम, लालचन्द पिसरान फूलचन्द, शान्ति देवी पत्नी फूलचन्द, निरमा पुत्री फूलचन्द के द्वारा उक्त भूमि को कृषि भूमि से अकृषि भूमि आवासीय भूमि में रूपान्तरण करवाने के लिए तहसीलदार श्रीकरणपुर के यहां प्रार्थना पत्र पेश किया गया, जिस पर तहसीलदार श्रीकरणपुर द्वारा बाद जांच अपने आदेश दिनांक 17.04.2004 एंव दिनांक 19.04.2004 के द्वारा उक्त कृषि भूमि को अकृषि भूमि आवासीय भूमि में रूपान्तरित करने का आदेश पारित किया गया। उक्त भूमि इन्तकाल दर्ज किये जाने की दिनांक 05.06.2010 को कृषि भूमि नहीं थी, बल्कि आवासीय भूमि में रूपान्तरित थी और आवासीयत भूमि रूपान्तरित होने के कारण द्वारका दास को उक्त भूमि को खरीदने का पूर्ण अधिकार था। बैयनामा दिनांक 12.05.2004 में भी भूमि आवासीय दर्ज है। लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा रूपान्तरण आदेशों की अनदेखी की गई है तथा ग्राम पंचायत द्वारा इन्तकाल खारिज करने से पूर्व द्वारका दास को ना तो कोई नोटिस जारी किया गया और ना ही सुना गया। उक्त इन्तकाल निरस्ती आदेश एकतरफा तौर पर जारी किया गया है, जिससे प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों की अवहेलना होने के कारण आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। द्वारका दास द्वारा उक्त आवासीय भूमि खरीद किये जाने के पश्चात रूपान्तरण आदेश दिनांक 17.04.2004 एंव 19.04.2004 की प्रतियां एंव बैयनामा दिनांक 12.05.2004 की प्रतियां पटवारी हल्का को दी जाकर इन्तकाल दर्ज करने बाबत् निवेदन किया था। जिस पर पटवारी हल्का द्वारा यह कहा गया कि आपके नाम से इन्तकाल दर्ज कर दिया गया है। लेकिन उक्त इन्तकाल निरस्त किये जाने से पूर्व आज तक द्वारका दास को कोई सूचना नहीं भेजी गई। उक्त भूमि आज तक आवासीय प्रयोजन में उपयोग ली जा रही है। ग्राम पंचायत द्वारा लैण्ड रिकॉर्डस रूल्स 132 से 134 की पालना नहीं की गई है तथा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये उक्त इन्तकाल खारिज किये जाने का आदेश पारित किया गया है। आज से 10 रोज पूर्व उक्त इन्तकाल निरस्त किये जाने का ज्ञान हुआ। जिस पर अपीलान्ट ने राजस्व रिकॉर्ड की नकले प्राप्त कर इन्तकाल आदेश दिनांक 05.06.2010 के विरूद्ध अपील बिना किसी देरी के पेश की जा रही है। अपील न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः अपील, अपीलांट स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत द्वारा इन्तकाल संख्या 498 को निरस्त किये जाने का आदेश दिनांक 05.06.2010 को निरस्त किया जाकर रामकरण आदि द्वारा रूपान्तरित आवासीय भूमि के बैयनामा

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

दिनांक 12.05.2010 के आधार पर हम अपीलान्टगण के पति/पिता द्वारका दास पुत्र रामचन्द्र के नाम से या हम अपीलान्टगण के नाम से इन्तकाल दर्ज किये जाने का आदेश देने की कृपा करे।

2- अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई एवं रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 बावजूद तामील उपस्थित नहीं आए। तहसीलदार श्रीकरणपुर के पत्रांक 15589972 दिनांक 02.06.2025 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। शामिल मिसल की गई।

3- बहस अपीलांट अधिवक्ता सुनी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात यथा राजस्व ग्राम 4 यू, पटवार हल्का केसरीसिंहपुर, भू.अ.नि.क्षेत्र केसरीसिंहपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 111/96 की प्रति, राजस्व ग्राम 4 यू, पटवार हल्का केसरीसिंहपुर, भू.अ.नि.क्षेत्र केसरीसिंहपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 130/111 की प्रति, राजस्व ग्राम 4 यू, पटवार हल्का केसरीसिंहपुर, भू.अ.नि.क्षेत्र केसरीसिंहपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 120/102 प्रति, राजस्व ग्राम 4 यू, पटवार हल्का केसरीसिंहपुर, भू.अ.नि.क्षेत्र केसरीसिंहपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 108/93 की प्रति, राजस्व ग्राम 4 यू, पटवार हल्का केसरीसिंहपुर, भू.अ.नि.क्षेत्र केसरीसिंहपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 54/47 की प्रति, राजस्व ग्राम 4 यू के इन्तकाल संख्या 498 की प्रमाणित प्रति, तहसीलदार श्रीकरणपुर के आदेश क्रमांक 410 से 448 आवासीय रूपान्तरण आदेश की प्रमाणित प्रतियां, पंजीकृत बैयनामा दिनांक 12.05.2004 की प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्ट के द्वारा चक 4 यू के इन्तकाल संख्या 498 अस्वीकृत आदेश दिनांक 05.06.2010 को खारिज किए जाने बाबत निवेदन किया है। राजस्व ग्राम 4 यू, पटवार हल्का केसरीसिंहपुर, भू.अ.नि.क्षेत्र केसरीसिंहपुर, तहसील श्रीकरणपुर के मुरब्बा नम्बर 13 के किला नम्बर 8 ता 13 की 1.024 हैक्टेयर नहरी भूमि का आवासीय रूपान्तरण तहसीलदार श्रीकरणपुर के आदेश क्रमांक 410 से 448 दिनांक 17.04.2004 व दिनांक 19.04.2004 को किया गया है। रामकरण, राजूराम, लालचन्द पिसरान फूलचन्द, शान्ति देवी पत्नी फूलचन्द, निरमा पुत्री फूलचन्द जाति मेघवाल निवासी केसरीसिंहुपर द्वारा राजस्व ग्राम 4 यू के मुरब्बा नम्बर 13 के किला नम्बर 8 ता 13 की 12100 वर्ग गज अकृषि भूमि पंजीकृत बैयनामा दिनांक 12.05.2004 द्वारका प्रसाद पुत्र रामचन्द्र जाति महेश्वरी निवासी केसरीसिंहपुर के पक्ष में निष्पादित करवाया गया है। उक्त अकृषि भूमि का बैयनामा इन्तकाल संख्या 498 पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 12.05.2010 को प्रस्तुत किया गया। जिसे भू.अ.नि. केसरीसिंहपुर द्वारा जाँच कर, मिलान किया गया अंकन सही है, की टिप्पणी की गई। जिसे सरपंच ग्राम पचायत मलकाना कलां के द्वारा दिनांक 05.06.2010 को अस्वीकृत कर दिया गया। लिहाजा इन्तकाल विवादित होने की स्थिति में सरपंच ग्राम पंचायत मलकाना कलां के द्वारा उक्त इन्तकाल तहसीलदार को प्रेषित किया जाना चाहिए था। परन्तु सरपंच ग्राम पंचायत मलकाना कलां के द्वारा चक 4 यू के इन्तकाल संख्या 498 को अस्वीकृत कर दिया गया। सरपंच ग्राम पंचायत मलकाना कलां के द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर इन्तकाल संख्या 498 को अस्वीकृत किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

-:आदेश:-

4- अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में अपील अपीलान्ट विरूद्व इन्तकाल संख्या 498 के अस्वीकृत आदेश दिनांक 05.06.2010 भली-भांति साबित होने से स्वीकार की जाकर सरपंच ग्राम पंचायत मलकाना कला द्वारा इन्तकाल संख्या 498 के अस्वीकृत आदेश दिनांक 05.06.2010 को निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार श्रीकरणपुर को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम 4 यू, पटवार हल्का केसरीसिंहपुर, भू.अ.नि.क्षेत्र केसरीसिंहपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 111/96 के मुरब्बा नम्बर 13 के किला नम्बर 8/2 की 0.095 हैक्टेयर, किला नम्बर 9/2 की 0.048 हैक्टेयर, किला नम्बर 13/1 की 0.062 हैक्टेयर, खाता संख्या 130/111 के मुरब्बा नम्बर 13 के किला नम्बर 9/1 की 0.205 हैक्टेयर, खाता संख्या 120/102 के मुरब्बा नम्बर 13 के किला नम्बर 10 की 0.164 हैक्टेयर, किला नम्बर 11/1 की 0.041 हैक्टेयर, खाता संख्या 108/93 के मुरब्बा नम्बर 13 के किला नम्बर 11/2 की 0.123 हैक्टेयर, किला नम्बर 12/2 की 0.081 हैक्टेयर, खाता संख्या 54/47 के मुरब्बा नम्बर 13 के किला नम्बर 12/1 की 0.172 हैक्टेयर, किला नम्बर 13/2 की 0.033 हैक्टेयर, कुल 1.024 हैक्टेयर भूमि को तहसीलदार श्रीकरणपुर के आवासीय रूपान्तरण आदेश क्रमांक 410 से 448 दिनांक 17.04.2004 व दिनांक 19.04.2004 की रूह से राजस्थान भू-राजस्व(ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

भूमि का अकृषिक प्रयोजनो के लिए संपरिवर्तन) नियम 2007 के नियम संख्या 12 के तहत उक्त रकबा खातेदारी भूमि में से कम किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में गैरमुमकिन आवासीय अमलदरामद किए जाने के आदेश दिए जाते है। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। आदेश इस आशय का तहसीलदार श्रीकरणपुर के नाम जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखित दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

निर्णय आज दिनांक 23.06.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)
सत्यमेव जयते

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम श्रीकरणपुर

दूरभाष न0:— 01501226005

ईमेल–sdo.srikaranpur@rajasthan.gov.in

क्रमांक :- रीडर/2025/416

दिनांक :-23.06.2025

तहसीलदार (राजस्व),
श्रीकरणपुर।

विषयः- प्रकरण संख्या 02/2022 अनवान संतोष देवी आदि बनाम सरपंच ग्राम पंचायत मलकाना कलां आदि अन्तर्गत धारा 75 एल आर एक्ट में पारित **निर्णय दिनांक 23.06.2025 के संबंध में।**

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि अनवान प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 23.06.2025 के अनुसार अपील अपीलान्ट विरूद्ध इन्तकाल संख्या 498 के अस्वीकृत आदेश दिनांक 05.06.2010 भली-भांति साबित होने से स्वीकार की जाकर सरपंच ग्राम पंचायत मलकाना कला द्वारा इन्तकाल संख्या 498 के अस्वीकृत आदेश दिनांक 05.06.2010 को निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार श्रीकरणपुर को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम 4 यू, पटवार हल्का केसरीसिंहपुर, भू.अ.नि.क्षेत्र केसरीसिंहपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 111/96 के मुरब्बा नम्बर 13 के किला नम्बर 8/2 की 0.095 हैक्टेयर, किला नम्बर 9/2 की 0.048 हैक्टेयर, किला नम्बर 13/1 की 0.062 हैक्टेयर, खाता संख्या 130/111 के मुरब्बा नम्बर 13 के किला नम्बर 9/1 की 0.205 हैक्टेयर, खाता संख्या 120/102 के मुरब्बा नम्बर 13 के किला नम्बर 10 की 0.164 हैक्टेयर, किला नम्बर 11/1 की 0.041 हैक्टेयर, खाता संख्या 108/93 के मुरब्बा नम्बर 13 के किला नम्बर 11/2 की 0.123 हैक्टेयर, किला नम्बर 12/2 की 0.081 हैक्टेयर, खाता संख्या 54/47 के मुरब्बा नम्बर 13 के किला नम्बर 12/1 की 0.172 हैक्टेयर, किला नम्बर 13/2 की 0.033 हैक्टेयर, कुल 1.024 हैक्टेयर भूमि को तहसीलदार श्रीकरणपुर के आवासीय रूपान्तरण आदेश क्रमांक 410 से 448 दिनांक 17.04.2004 व दिनांक 19.04.2004 की रूह से राजस्थान भू-राजस्व(ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनो के लिए संपरिवर्तन) नियम 2007 के नियम संख्या 12 के तहत उक्त रकबा खातेदारी भूमि में से कम किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में गैरमुमकिन आवासीय अमलदरामद किए जाने के आदेश दिए जाते है। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व)
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम श्रीकरणपुर

दूरभाष नं:- 01501226005

ईमेल-sdo.srikaranpur@rajasthan.gov.in

क्रमांक :- रीडर/2025/416

दिनांक :-23.06.2025

तहसीलदार (राजस्व),
श्रीकरणपुर।

विषयः- प्रकरण संख्या 02/2022 अनवान संतोष देवी आदि बनाम सरपंच ग्राम पंचायत मलकाना कलां आदि अन्तर्गत धारा 75 एल आर एक्ट में पारित **निर्णय दिनांक 23.06.2025 के संबंध में।**

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि अनवान प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 23.06.2025 के अनुसार अपील अपीलान्ट विरूद्व इन्तकाल संख्या 498 के अस्वीकृत आदेश दिनांक 05.06.2010 भली-भांति साबित होने से स्वीकार की जाकर सरपंच ग्राम पंचायत मलकाना कला द्वारा इन्तकाल संख्या 498 के अस्वीकृत आदेश दिनांक 05.06.2010 को निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार श्रीकरणपुर को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम 4 यू, पटवार हल्का केसरीसिंहपुर, भू.अ.नि.क्षेत्र केसरीसिंहपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 111/96 के मुरब्बा नम्बर 13 के किला नम्बर 8/2 की 0.095 हैक्टेयर, किला नम्बर 9/2 की 0.048 हैक्टेयर, किला नम्बर 13/1 की 0.062 हैक्टेयर, खाता संख्या 130/111 के मुरब्बा नम्बर 13 के किला नम्बर 9/1 की 0.205 हैक्टेयर, खाता संख्या 120/102 के मुरब्बा नम्बर 13 के किला नम्बर 10 की 0.164 हैक्टेयर, किला नम्बर 11/1 की 0.041 हैक्टेयर, खाता संख्या 108/93 के मुरब्बा नम्बर 13 के किला नम्बर 11/2 की 0.123 हैक्टेयर, किला नम्बर 12/2 की 0.081 हैक्टेयर, खाता संख्या 54/47 के मुरब्बा नम्बर 13 के किला नम्बर 12/1 की 0.172 हैक्टेयर, किला नम्बर 13/2 की 0.033 हैक्टेयर, कुल 1.024 हैक्टेयर भूमि को तहसीलदार श्रीकरणपुर के आवासीय रूपान्तरण आदेश क्रमांक 410 से 448 दिनांक 17.04.2004 व दिनांक 19.04.2004 की रूह से राजस्थान भू-राजस्व(ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनो के लिए संपरिवर्तन) नियम 2007 के नियम संख्या 12 के तहत उक्त रकबा खातेदारी भूमि में से कम किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में गैरमुमकिन आवासीय अमलदरामद किए जाने के आदेश दिए जाते है। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)